दिनांक- 17.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 895/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत वारण्टों से संबंधित वारण्टियों एवं विभिन्न अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17.10.2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी कोर्ट, जनपद महोबा द्वारा निर्गत ई-वारण्ट एवं धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता से संबंधित मामले में वांछित अभियुक्त महेन्द्र पुत्र नन्दराम, निवासी ग्राम टिकरिया, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा, उम्र करीब 39 वर्ष को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त थाना महोबकंठ से संबंधित सेशन केस संख्या 614/2021, धारा 323/504 भादवि एवं एससी/एसटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में वांछित था। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1. म0उ0नि0 दीक्षा, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा।
2. हे0का0 वीर सिंह, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

महेन्द्र पुत्र नन्दराम, निवासी ग्राम टिकरिया, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा

महोबा पुलिस

दिनांक- 17.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 896/26

सर्किल नगर थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में जनपद में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना खन्ना के नेतृत्व में थाना खन्ना पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 17.10.2026 को उपनिरीक्षक नरोत्तम सिंह मय हमराह कांस्टेबल सुरेन्द्र कुमार द्वारा माननीय न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), महोबा से जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में वाद संख्या 57/2024, मु0अ0सं0 131/2023, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त करन अहिरवार पुत्र राजेश अहिरवार, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम बरभौली, थाना खन्ना, जनपद महोबा को ग्राम बरभौली मोड़ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

करन अहिरवार पुत्र श्री राजेश अहिरवार, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम बरभौली, थाना खन्ना, जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 नरोत्तम सिंह, थाना खन्ना, जनपद महोबा
2. का0 सुरेन्द्र कुमार, थाना खन्ना, जनपद महोबा

दिनांक- 17.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 897/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना अजनर

थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अवैध शस्त्रों की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा उनकी बरामदगी एवं उनके प्रयोग पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 01 नफर अभियुक्त देवेन्द्र कुमार अहिरवार पुत्र बृजेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम दादरी, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने ग्राम अकौना के बाहर सचिवालय के आगे कुएँ के पास स्थित सरकारी हैंडपंप के निकट से अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना अजनर पर मु0अ0सं0 196/2026, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959 के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

देवेन्द्र कुमार अहिरवार पुत्र बृजेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम दादरी, थाना महोबकंठ, जनपद महोबा।

बरामदगी:

01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी, थाना अजनर, जनपद महोबा।

का0 शिवम पाण्डेय, थाना अजनर, जनपद महोबा।

हो0गा0 सीसी कमलेश सिंह, थाना अजनर, जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

दिनांक- 17.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 898/26

पिंक समाधान दिवस/मिशन शक्ति तहसील दिवस में महिलाओं की समस्याओं की हुई सुनवाई, अपर पुलिस अधीक्षक एवं मिशन शक्ति टीम द्वारा जनसुनवाई कर कराया गया समस्याओं का निस्तारण।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन एवं उनकी समस्याओं के प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता एवं जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में तहसील चरखारी में आयोजित पिंक समाधान दिवस/मिशन शक्ति तहसील दिवस में मिशन शक्ति केन्द्र चरखारी एवं थाना कोतवाली नगर की मिशन शक्ति टीम द्वारा सहभागिता करते हुए महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई की गई।

1. **अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा तहसील सदर में जनसुनवाई कर महिलाओं की समस्याओं के निस्तारण हेतु दिए गए निर्देश**

- पिंक समाधान दिवस/मिशन शक्ति तहसील दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड एवं थाना कोतवाली नगर महोबा की मिशन शक्ति टीम के साथ संयुक्त रूप से जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान विशेष रूप से महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर गंभीरतापूर्वक सुना गया तथा संबंधित प्रकरणों में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर उनके समाधान हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई।
- कुछ प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देकर मौके पर ही निस्तारण कराया गया , जबकि अन्य प्रकरणों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

2. **मिशन शक्ति केन्द्र चरखारी द्वारा महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई एवं काउंसलिंग**

- तहसील चरखारी में आयोजित पिंक समाधान दिवस/मिशन शक्ति तहसील दिवस के दौरान मिशन शक्ति केन्द्र चरखारी की टीम द्वारा उपस्थित आवेदिकाओं की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया। संबंधित महिलाओं की परिस्थितियों के दृष्टिगत उनकी काउंसलिंग कर आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही, महिलाओं को आवश्यक विधिक सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया।

महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति महोबा पुलिस प्रतिबद्ध-

- मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत आयोजित इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई कर उन्हें आवश्यक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा पुलिस एवं आमजन के बीच विश्वास एवं संवाद को सुदृढ़ करना है। महोबा पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने तथा उनकी समस्याओं के प्रभावी निस्तारण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

महोबा पुलिस

दिनांक- 17.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 899/26

सर्किल चरखारी थाना चरखारी

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में जनपद में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब, जुआ, गांजा एवं अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

आज दिनांक 17.10.2026 को थानाध्यक्ष चरखारी श्री राहुल मिश्रा द्वारा गठित पुलिस टीम में शामिल उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा मय हमराह का0 राजीव कुमार द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में वारण्टी अभियुक्त बृजेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र हरी विश्वकर्मा, निवासी ग्राम स्याना, थाना राठ, जनपद हमीरपुर को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना चरखारी से संबंधित वाद संख्या 19/15, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में वारण्टी था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

बृजेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र हरी विश्वकर्मा, निवासी ग्राम स्याना, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 सुनील कुमार मिश्रा, थाना चरखारी, जनपद महोबा।
2. का0 राजीव कुमार, थाना चरखारी, जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

दिनांक- 17.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 900/26

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में गठित टीम के उ0नि0 अंकित सिंह चौहान मय हमराह पुलिस बल के द्वारा आज दिनांक 17.10.2026 को मु0नं0 1424/11 धारा 323/504/506/325 भादवि से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त प्रहलाद पुत्र जमुना प्रसाद उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बिलवई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को ग्राम बिलवई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी वारंटी अभियुक्त प्रहलाद उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रहलाद पुत्र जमुना प्रसाद उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम बिलवई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अंकित सिंह चौहान थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा
2. का0 संदीप कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

महोबा पुलिस

दिनांक- 17.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 901/26

सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस की त्वारित कार्यवाही: चोरी के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गया ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित 600 किलोग्राम डॉग कंडक्टर बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में कोतवाली नगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रकरण में वादी अवर अभियंता, 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र बजरिया द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर महोबा पर मु0अ0सं0 498/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण में दिनांक 16.10.2026 को अभियुक्त रोहित कुमार यादव पुत्र नन्दराम यादव, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम किड़ारी, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को चोरी गए माल एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली, जिसमें 600 किलोग्राम डॉग कंडक्टर (24 अदद रोल) लदे हुए थे, के साथ पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। बरामद महिन्द्रा ट्रैक्टर, चेचिस नंबर NFBB00267, को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रोहित कुमार यादव पुत्र नन्दराम यादव, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम किड़ारी, थाना कोतवाली नगर, महोबा।

बरामदगी का विवरण:

- एक महिन्द्रा ट्रैक्टर मय ट्रॉली।
- 600 किलोग्राम डॉग कंडक्टर (24 अदद रोल)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 हर्षित मिश्रा
2. का0 सुमित प्रभाकर

महोबा पुलिस

दिनांक- 17.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 902/26

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोबा ने कीरत सागर विसर्जन स्थल का किया भौतिक सत्यापन, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के संबंध में दिए आवश्यक निर्देश

शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के दृष्टिगत जनपद में माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महोबा श्री प्रभाष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा आज दिनांक 17.10.2026 को जनपद मुख्यालय स्थित माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हेतु चिन्हित कीरत सागर का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी श्री इन्द्र नन्दन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह, उपजिलाधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी नगर सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण तथा समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा विसर्जन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, गोताखोरों की उपलब्धता, बैरिकेडिंग, श्रद्धालुओं के आवागमन, भीड़ नियंत्रण तथा यातायात व्यवस्था के संबंध में की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। विसर्जन स्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भीड़ और आवागमन पर सतत निगरानी रखने हेतु ड्रोन कैमरे का भी उपयोग किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की संभावना को रोका जा सके।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देश दिए गए कि माँ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नियमानुसार सूर्यास्त से पूर्व संपन्न कराया जाए तथा प्रतिमाओं का विसर्जन केवल पुलिस एवं प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थलों पर ही सुनिश्चित किया जाए। विसर्जन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन कराया जाए तथा प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु केवल अधिकृत गोताखोरों एवं सेवादारों को ही जिम्मेदारी सौंपी जाए। विसर्जन स्थल पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, प्रशिक्षित गोताखोरों की उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित रखने के भी निर्देश दिए गए।

श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने तथा यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग कराए जाने, प्रवेश एवं निकास मार्गों को व्यवस्थित रखने तथा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने तथा श्रद्धालुओं के साथ शालीन व्यवहार बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया।

इसके अतिरिक्त जनपदीय पुलिस की सोशल मीडिया सेल को सक्रिय रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली भ्रामक, आपत्तिजनक एवं भड़काऊ सूचनाओं तथा अराजक तत्वों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत पैदल गश्त कर सुरक्षा, यातायात एवं भीड़ नियंत्रण संबंधी तैयारियों का जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया कि विसर्जन कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, शांति एवं सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपसी समन्वय के साथ प्रभावी ड्यूटी सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी परिस्थिति में कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित न होने पाए।

महोबा पुलिस

दिनांक- 17.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 902/26

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोबा के संयुक्त नेतृत्व में कीरत सागर विसर्जन स्थल का किया गया भौतिक सत्यापन, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के संबंध में दिए आवश्यक निर्देश।

शारदीय नवरात्रि एवं दशहरा पर्व के दृष्टिगत माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी महोबा श्री प्रभाष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा आज दिनांक 17.10.2026 को जनपद मुख्यालय स्थित कीरत सागर विसर्जन स्थल का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी श्री इन्द्र नन्दन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह, उपजिलाधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी नगर सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा विसर्जन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, गोताखोरों की उपलब्धता, बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया। श्रद्धालुओं की आवाजाही एवं भीड़ प्रबंधन पर सतत निगरानी हेतु ड्रोन कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रतिमा विसर्जन नियमानुसार सूर्यास्त से पूर्व एवं केवल चिन्हित स्थलों पर कराया जाए। विसर्जन प्रक्रिया में केवल अधिकृत गोताखोरों एवं सेवादारों को ही जिम्मेदारी सौंपी जाए तथा सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा उन्हें उनके अधिकारों एवं महिला सुरक्षा हेल्पलाइन की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त, जनपदीय पुलिस की सोशल मीडिया सेल को भ्रामक एवं आपत्तिजनक सूचनाओं तथा अराजक तत्वों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इसी क्रम में जिलाधिकारी महोबा एवं पुलिस अधीक्षक महोबा के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत मिश्रित आबादी वाले स्थलों पर भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया

महोबा पुलिस की अपील:- सभी नागरिक नवरात्रि एवं दशहरा पर्व को शांति, सौहार्द एवं सुरक्षित वातावरण में मनाएं तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें।